



भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित



HDFC
ERGO

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)

मौसम - रबी 2022-23

सुरक्षित कृषक, राष्ट्र का गौरव

उद्देश्य :

1. प्राकृतिक आपदाओं यथा वर्षा, तापमान, हवा एवं आर्द्रता के कारण किसी भी संसूचित फसल के नुकसान होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज द्वारा वित्तीय सहायता।
2. किसानों को कृषि में प्रगतिशील कृषि तरीकों, उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
3. विशेषकर आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर करना।



पात्र कृषक: अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी कृषक (ऋणी/गेर ऋणी)

(ऋणी कृषकों को बीमा में शामिल न होने के सम्बन्ध में अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित बैंकों को बीमा की अन्तिम तिथि से 7 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। ऐसे कृषक बीमा में तभी शामिल हो सकते हैं जब वह अपना प्रार्थना पत्र पुनः बीमा में शामिल होने हेतु दें।)

(जनपदवार/फसलवार बीमित राशि एवं देय प्रीमियम पीछे पृष्ठ पर अंकित है)

अधिसूचित फसल	बीमा की ईकाई	बीमित राशि (रु./हे.)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम	बीमा कराने की अन्तिम तिथि
हरी मटर	संसूचित	प्रति हेक्टेयर	बीमित राशि का	30 नवम्बर, 2022
टमाटर	संसूचित	प्रति हेक्टेयर	बीमित राशि का	30 नवम्बर, 2022
आम	विकास खण्ड	संसूचित राशि	5%	15 दिसम्बर, 2022

(जनपदवार/फसलवार बीमित राशि एवं देय प्रीमियम पीछे पृष्ठ पर अंकित है)

बीमा कहाँ करायें/जानकारी हेतु

सम्बन्धित
बैंक शाखा

जन सेवा केन्द्र
(CSC)

भारत सरकार के
PMFBY Portal
(www.pmfby.gov.in)

क्रियान्वयक अभिकरण के
अधिकृत बीमा
मध्यस्थ/कार्यालय

(कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क बीमा के लिए देय नहीं है)

बीमा से आच्छादित जोखिम एवं क्षतिपूर्ति का आंकलन

बीमा से आच्छादित जोखिम	फसलों की क्षति का आंकलन
<ul style="list-style-type: none"> • कम वर्षा • बे-मौसम/अधिक वर्षा • लगातार सूखे दिन • कम/अधिक तापमान • आर्द्रता तेज हवा 	<ul style="list-style-type: none"> • बीमित फसल की बुआई से पटाई की समयावधि (बीमा अवधि) के महत्वपूर्ण चरणों में फसल हेतु निर्धारित की गयी मौसमीय स्थितियों एवं मौसम की वास्तविक स्थिति में अन्तर के अनुरूप फसल की सम्भावित/जोखिम अवधि क्षति के दृष्टिगत फसलवार स्वीकृत टर्म-शीट में निर्धारित मापदण्डों के आधार पर क्षति का आँकलन।

कृषक बीमा सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए राज्य अधिसूचना, बीमा प्रपत्र, भारत सरकार के PMFBY Portal (www.pmfby.gov.in) कृषि/उद्यान विभाग, टोल फ्री नं. एवं क्रियान्वयक अभिकरण से सम्पर्क करें।

एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना मौसम – रबी 2022-23 के अन्तर्गत जनपद/फसलवार बीमित राशि एवं कृषक देय प्रीमियम राशि (रु./हे.)

(रबी 2022-23 मौसम के अन्तर्गत एचडीएफसी को अधिकृत जिलों के
अधिसूचित फसलों में बीमा के लिए देय प्रीमियम दर बीमित राशि का 5%)

मौसम	जिला	फसल	बीमित राशि	कृषक प्रीमियम राशि
रबी 2022- 23	गाजीपुर	हरी मटर	70,000	3,500
		टमाटर	50,000	2,500
	मिर्जापुर	टमाटर	50,000	2,500
	सोनभद्र	टमाटर	50,000	2,500
	वाराणसी	हरी मटर	70,000	3,500
		आम	70,000	3,500



ई-मेल: pmfby.up@hdfcergo.com

वेबसाइट: <https://pmfby.gov.in/farmer>